ग्राम पंचायत मनेई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016
भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मनई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती रेखा देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्री कृपाल सिंह	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रवि कुमार	01.04.13 से 23.6.13
2	श्री संजय कुमार	24.6.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत मनई के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	8	खाता (ख) में अर्जित ब्याज को खाता—(क) में अन्तरित न करना	0.73
2	9	अनुदान का उपयोग न करना	5.92
3	11	औपचारिकताओं के पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	5.10
4	12	निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना	0.67

<u>**भाग–दो**</u>

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत मनई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री तरवीज कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 16.1.17 से 21.1.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 1/14, 1/15 व 3/16 तथा 3/14, 5/14 व 3/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत मनई, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 222 दिनांक 21.1.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मनई से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत मनई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(1) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत मनई के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	113221.07	59131	172352.07	20878.20	151473.87
2014–15	151473.87	79624	231097.87	20335.00	210762.87
2015–16	210762.87	29518	240280.87	96673.00	143607.87

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत मनई के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	485936	1851541	2337477	1588059	749418
2014–15	749418	1109684	1859102	1330077	529025
2015–16	529025	1000626	1529651	937711	591940

दिनांक 31.3.2016 को स्वःस्त्रोत व अनुदान राशि का कुल योग (1+2) **₹735547.87**

या **₹735548**

दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि का विवरणः–

क्रमांक	अनुदान	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	OWN Resource	KCCB Lapiana	50061335671	143361
2	3rd SFC	KCCB Lapiana	50061335693	75473
3	13th FC	-do-	20040016322	6976
4	14th FC	-do-	50062931616	457856
5	MPLADS	-do-	50057679662	942
6	ICDS	-do-	50057679684	3345
7	NRHM	-do-	50061335706	23461
8	MMGPY	-do-	50060619483	1235
9	RAY/AAY	HGB Harchakian	87831700063278	334
10	TSCNBA	-do-	87831700063232	6063
11	VKVNY	-do-	87831700063250	5539
12	SWAJAL Dhara	-do-	87831700063296	10136
13	IAY	-do-	87831700063302	0
14	MNREGA	PNB Rait	0894000101328286	0
15	WATERSHED	-do-	0894000101339176	358
			योग	**₹735079**

अन्तशेष का विवरणः–

(क)	दिनांक 31.3.16 की वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष	₹735548
(ख)	दिनांक 31.3.16 को बैंक में कुल जमा राशि	₹735079
(ग)	दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि	₹469

5 रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाऐगें और स्वः स्त्रोत हेतु पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जायेगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। और पंचायत निधि खाता–ख जाना जायेगा परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर को तैयार न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा फार्म 8 में वर्गीकृत सार एक भाग आय के लिए तथा दूसरा भाग व्यय के लिए तैयार किया जाना अपेक्षित है। जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जायेगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 कर माँग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान जाँच में स्वः स्त्रोत, जैसे कि गृहकर, भू राजस्व इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित माँग व एकत्रीकरण रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में करों की कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 खाता "ख" में अर्जित ₹0.73 लाख ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी व जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्नविवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में अर्जित ब्याज को उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था परन्तु ब्याज की राशि को अन्तरित नहीं किया गया। इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को तुरन्त खाता "ख" के समस्त बैंक खातों से निकाल कर खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

		वर्ष		
खाता संख्या	**2013—14**	**2014—15**	**2015—16**	**कुल ब्याज (₹)**
50061335671	2667	1749	2503	6919
50061335693	12142	10536	12906	35584
50057679662	601	305	36	942
50057679684	405	2635	130	3170
50061335706	280	491	820	1591
50060619483	—	99	1560	1659
87831700063278	—	370	124	494
87831700063232	308	979	536	1823
87831700063250	118	207	214	539
87831700063296	216	378	392	986
87831700063302	793	464	44	1301
0894000101328286	5187	222	5	5414
0894000101339176	7393	4570	358	12321
जोड़	**30110**	**23005**	**19628**	**72743**

9 अनुदान ₹5.92 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट—1)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹591940 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 नियमों के विरूद्ध पन्द्रह बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) पंचायत में केवल दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु पंचायत द्वारा दो के स्थान पर पैरा 4 के अनुसार पन्द्रह बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन तेरह अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.10 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्राविधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹509790 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹0.67 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डारण भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्टॉक/स्टोर रजिस्टर में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है परन्तु पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 3** में वर्णित वाउचरों की जाँच में

पाया गया कि ₹67320 की निर्माण सामग्री को क्रय करने उपरान्त भण्डारण पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया और न ही उपयोग सम्बन्धित अभिलेख तैयार किया गया यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

13 मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित मस्ट्रोल के भुगतान से सम्बन्धित मस्ट्रोल जारी करने का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

क्रमांक	मस्ट्रोल सं0	वा0सं0 / दिनांक	राशि
1	6709	86 / 12.3.14	2208
2	67010 व 67011	87 / 12.3.14	20700
3	7124	88 / 13.3.14	2439
4	7078	89 / 14.3.14	6900

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेख का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4	मासिक समाधान विवरणी	15	–
5	विभिन्न अनुदानों के लेजर	7	29 (1)
6	खाते मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–**लघु आपत्तियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

17 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 81/2017–खण्ड–1– 2290–2293 दिनाँकः 20.04.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत मनई, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

(परिशिष्ट–2)

ग्राम पंचायत मनई विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ₹5.10 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

(पैरा–11 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0/दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि (डच्च्-।क)	59 – 60/22.2.14	मैसर्ज सूर्या शक्ति इनर्जी सिष्टम दाडी द्वारा 20 सोलर लाईट की आपूर्ति	400000
2	सभा निधि	22/10.9.14	मै0 सुरजीत गुडज कैरियज द्वारा ईन्टों की आपूर्ति का भुगतान	40500
3	सभा निधि	68/10.3.16	श्री राकेश कुमार द्वारा रेत बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	21250
4	सभा निधि	74/29.3.16	श्री रछपाल सिंह द्वारा रेत, बजरी बोल्डर आदि की आपूर्ति का भुगतान	20250
5	मनरेगा	7/11.6.14	श्री राकेश कुमार द्वारा रेत, बजरी आदि की आपूर्ति का भुगतान	27790
			योग	**₹509790**

(परिशिष्ट–3)

ग्राम पंचायत मनई विकास खण्ड रैत (कांगड़ा) द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री का भण्डार पुस्तकों में इन्द्राज न करना

(पैरा–12 के सन्दर्भ में)

क्रमांक	निधि	वा0सं0 / दिनांक	विवरण	राशि
1	सभा निधि	63 / 7.3.14	हि0प्र0 नागरिक आपूर्ति निगम लि0 से बिल संख्या 1939849 दिनांक 7.3.14 के अन्तर्गत सीमेन्ट की खरीद 40 बैग सीमेन्ट @233	9320
2	सभा निधि	72 / 22.3.14	नागरिक आपूर्ति निगम संख्या 1939732 दिनांक 22.3.14 के अन्तर्गत सीमेन्ट की खरीद 80 बैग सीमेन्ट ₹233	18640
3	सभा निधि	24 / 26.9.14	–यथोपरि– बिल नं0 1326058@26.9.14 50 बैग सीमेन्ट @₹259	12950
4	सभा निधि	34 / 5.12.15	–यथोपरि– बिल 1322187 / 5.2.15 40 बैग सीमेन्ट @₹278	11120
5	सभा निधि	35 / 5.12.15	–यथोपरि– बिल 1232189@5.12.15 30 बैग सीमेन्ट ₹278	8340
6	सभा निधि	36 / 5.12.15	–यथोपरि'– बिल 1232188@5.12.15 25 बैग सीमेन्ट ₹278	6950
			योग	₹67320